

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.  
प्रकरण सं० :- 134/2019  
दायर दिनांक :- 13.06.2019

अनवान

श्री फुम्बाराम पिता रामचन्द्र मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर  
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री हरला पिता हेमा मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
2. श्री रामदेव पिता हेमा मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
3. श्री रामसिंह पिता राधाकिशन मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
4. श्री पिकु पिता राधाकिशन मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
5. श्री रामप्रसाद पिता छोटू मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
6. श्री जयसिंह पिता छोटू मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
7. श्री रामदेव पिता गोगा मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
8. श्री कल्याण पिता गोगा मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
9. श्री सोराज पिता बद्री मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
10. श्री रामरतन पिता बद्री मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
11. श्री मदन पिता बद्री मीणा नि. भवानीपुरा तह. जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 17.03.2020

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम भवानीपुरा प० ह० सरसिया तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 702 रकबा 6.02 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भवानीपुरा प० ह० सरसिया तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 702 रकबा 6.02 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर का कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)

